न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 91/2022

मनप्रीत सिंह पुत्र श्री बलदेवसिंह जरिये मुखत्यारेआम बलदेव सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 19 आर. बी. तहसील रायसिंहनगर

अपीलांट

बनाम

. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदा, गजसिंहपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार (राजस्व)
गजसिंहपुर दिनांक 03.08.2022

उपस्थित : 1. श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, अपीलांट
2.. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

आदेश दिनांक : 16.06.2023

अपीलांट द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट स्टेट के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 19 आर. बी. के मु. नं. 29 व मु. नं. 5 में 1.3420 हैक्टेयर कृषि भूमि है जिसका अपीलांट खातेदार है। अपीलांट के उक्त रकबा मु. नं. 29 के किला नंबर 20/1 व 21/1 प्रत्येक में 0.0180 हैक्टेयर रास्ते का जरिये इतंकाल संख्या 523 दिनांक 03.08.2022 को स्वीकृत किया गया है तथा अब इस इतंकाल के आधार पर मौका पर अपीलांट की फसल को नष्ट कर रास्ता खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। अपीलाधीन भूमि चक 19 आर बी के मु. नं. 5 के किला नंबर 9/2, 10/1 एंव मु. नं. 29 के किला नंबर 19, 20, 21 एवं 22/1 में कुल 6 बीघों में से 1,3420 हैक्टेयर कृषि भूमि नहरी है जिसमें पूर्व में किसी प्रकार से कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। मौका पर प्रत्येक बीघा में ग्वार की फसल काश्त है तथा कृषि भूमि के चारों तरफ पशुओं की रोकथाम के लिए लोहे की तार सीमेंट के पिल्लर से लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई रास्ता मौका पर चालू नहीं है। उपतहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा भू– निरीक्षक एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रायसियंहनगर के आदेश दिनांक 17.11.2021 एवं राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.07.2022 का उल्लेख करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में पृष्ठांकन को दिनांक 03.08.2022 को स्वीकृत किया गया है तथा इस पृष्ठांकन के आधार पर पटवार हल्का द्वारा जबरदस्ती अपीलांट की खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता खोले जाने की कार्यवाही करने पर उतारू है जबकि मौका पर किसी प्रकार का न कोई रास्ता है और न ही रास्ता कभी चालू है। अगर पटवार हल्का द्वारा मिलीभगत से एवं दबाव में आकर अपीलांट की फसल को नष्ट कर रास्ता चालू किया जाता है तो अपीलांट को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपीलाधीन कृषि भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण जैरकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इन सबको दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धान्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रतिपादित किया गया है कि अगर प्रकरण किसी भी सक्षम न्यायालय में जैरकार हो तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता खोलने संबंधी एवं किसी भी पक्षकार को कब्जा खाली पड़ी कृषि भूमि का ही दिलाया जा सकता है, इसके लिए समयावधि तय की गयी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर न फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 523 दिनांक 03.08.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर वाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चक 19 आर. बी. के मु. नं. 29 व मु. नं. 5 में 1.3420 हैक्टेयर कृषि भूमि है जिसका अपीलांट खातेदार है। अपीलांट के उक्त रकबा मु. नं. 29 के किला नंबर 20/1 व 21/1 प्रत्येक में 0.0180 हैक्टेयर रास्ते का जरिये इतंकाल संख्या 523 दिनांक 03.08.2022 को स्वीकृत किया गया है तथा अब इस इतंकाल के आधार पर मौका पर अपीलांट की फसल को नष्ट कर रास्ता खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। अपीलाधीन भूमि चक 19 आर बी के मु. नं. 5 के किला नंबर 9/2, 10/1 एंव मु. नं. 29 के किला नंबर 19, 20, 21 एवं 22/1 में कुल 6 बीघों में से 1,3420 हैक्टेयर कृषि भूमि नहरी है जिसमें पूर्व में किसी प्रकार से कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। मौका पर प्रत्येक बीघा में ग्वार की फसल काश्त है तथा कृषि भूमि के चारों तरफ पशुओं की रोकथाम के लिए लोहे की तार सीमेंट के पिल्लर से लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई रास्ता मौका पर चालू नहीं है। उपतहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा भू– निरीक्षक एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 17.11.2021 एवं राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.07.2022 का उल्लेख करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में पृष्ठांकन को दिनांक 03.08.2022 को स्वीकृत किया गया है तथा इस पृष्ठांकन के आधार पर पटवार हल्का द्वारा जबरदस्ती अपीलांट की खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता खोले जाने की कार्यवाही करने पर उतारू है जबकि मौका पर किसी प्रकार का न कोई रास्ता है और न ही रास्ता कभी चालू है। अगर पटवार हल्का द्वारा मिलीभगत से एवं दबाव में आकर अपीलांट की फसल को नष्ट कर रास्ता चालू किया जाता है तो अपीलांट को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपीलाधीन कृषि भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण जैरकार है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय इन सबको दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर प्रकरण किसी भी सक्षम न्यायालय में जैरकार हो तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता खोलने संबंधी एवं किसी भी पक्षकार को कब्जा खाली पड़ी कृषि भूमि का ही दिलाया जा सकता है, इसके लिए समयावधि तय की गयी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर न फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 523 दिनांक 03.08.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी है। अपीलांट द्वारा आवंटन के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इतंकाल संख्या 523 दिनांक 03.08.2022 के विरूद्ध पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इतंकाल उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के प्रकरण संख्या 14/2021 निर्णय दिनांक 17.11.2021 एवं राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के अपील संख्या 09/2022 निर्णय दिनांक 25.07.2021 की पालना में दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर इतंकाल जारी किया गया है। इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की कोई गुजांईश प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर